अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 1

04 20.05.2023	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 40 /2023 राज्य बनाम शैलेश वर्मण उर्फ गाँधी, पिता – मुन्ना प्रसाद, निवासी –किशोरगंज रोड नं० 02, थाना– सुखदेवनगर, जिला–राँची (झारखण्ड) ....विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 272/डी०सी०बी० दिनांक 14.03.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी शैलेश वर्मण उर्फ गाँधी, पिता – मुन्ना प्रसाद, निवासी –किशोरगंज रोड नं० 02, थाना– सुखदेवनगर, जिला–राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:– 1. सुखदेवनगर थाना कांड सं०–436/2021, दिनांक 15.11.2021 धारा–21/21 बी०/22 एन०डी०पी०एस०एक्ट 2. सुखदेवनगर थाना सन्हा सं0– 28/2023, दिनांक– 15.02.2023 3. सुखदेवनगर थाना सन्हा स०– 21/2023, दिनांक– 17.02.2023 वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली, राँची कार्यालय का ज्ञापांक–429/उपा०, दिनांक 23.02.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया है कि कुख्यात	

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कारवाई के बारे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

एवं सक्रिय अपराधकर्मी शैलेश वर्मण उर्फ गाँधी अपने तथा अपने सहयोगियों के साथ आये दिन राँची तथा आस पास के इलाको में घुम–घुम कर नशा का सामान बेचा जा रहा है। इनकी अपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच भय का माहौल है। इनके तथा इनके सहयोगियों के द्वारा ये एक पेशेवर अपराधी है। इनके विरुद्ध कई कांड दर्ज है। इनकी अपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच भय का वातावरण है जिससे समाज में अशांति है। इनके अपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच भय का वातावरण है जिससे समाज में अशांति है। इनकी आपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच आतंक, भय एवं दहशत का माहौल व्याप्त है, जिस कारण से लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये हाल में ही जेल से जमानत पर मुक्त हुए है। इस संबंध में सन्हा दर्ज किया गया है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार वे अपने इलाज के लिए दिनांक 08.02.2023 को नशा मुक्ति केन्द्र मे भर्ती हुए तथा दिनांक 21.02.2023 को ईलाज के बाद वे डिस्चार्ज (मुक्त) हुए।

उभय पक्ष को सुना। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा सुखदेवनगर थाना सन्हा सं0– 28 / 2023 एवं

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

...श का क्रम ...या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

21/23 दिनांक– 15.02.2023 एवं 17.02.2023 दर्ज किया गया है, परन्तु विपक्षी के अनुसार वे अपने इलाज के लिए दिनांक 08.02.2023 को नशा मुक्ति केन्द्र मे भर्ती हुए तथा दिनांक 21.02.2023 को ईलाज के बाद वे डिस्चार्ज (मुक्त) हुए। इससे प्रतीत होता है कि वे उक्त अवधि में इलाजरत थे। अतः उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत वाद की कार्रवाई संधारणीय नही प्रतीत होता है । अतएव इस वाद की कार्रवाई चेतावनी के साथ बिना किसी प्रतिकूल आदेश के समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति शैलेश वर्मण उर्फ गाँधी, पिता –मुन्ना प्रसाद, निवासी –किशोरगंज रोड नं० 02, थाना– सुखदेवनगर, जिला–राँची तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 21:09:32 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9